

न्यून - अगस्त, 1991 सत्र

## कैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 3 जुलाई, 1991 (आषाढ़ 12, 1913)  
समय 10.30 बजे

### 1- निधन का उल्लेख

श्री मूलचन्द जांगड़े, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

### 2- प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्प्रिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 3- पक्षों का पटल पर रखा जाना.

श्री कैलाश जोशी, उर्जा मंत्री, विद्युत (प्रवाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की अपाधारा (उ) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक विवरण वर्ष 1991-92 का भाग 1 व 2 पटल पर रखेंगे.

### 4- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) डा. रामजी मस्तकार, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के अनेक क्षेत्रों में खाद्य सामग्री का वितरण न हो पाने की ओर राज्य मंत्री, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डा. गोविन्द सिंह, श्री मुज्जा सिंह भवौरिया, सदस्य, भिण्ड शहर में घटित लूट की अनाक घटनाओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 5- प्रतिवेदन की प्रस्तुति तथा स्वीकृति.

श्री डोगर सिंह पटेल, कार्यवाहक सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संबंधित समिति का अष्टम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव करेंगे कि-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों लक्ष्य संबंधित समिति के अष्टम प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों से सहमत हैं।"

### 6- याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री रामबहादुर सिंह परिहार, सदस्य —

(क) जिला गुना, तहसील राधवगढ़, ग्राम डोगर में पेयजल उपलब्ध कराने, तथा  
(ख) तहसील कुंभराज, ग्राम झेड़ी में पेयजल उपलब्ध कराने,

(2) श्री नन्दकुमार पटेल, सदस्य

(क) जिला रायगढ़, खरसिया बैल ग्राम मदनपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा  
(ख) खरसिया रेलवे क्रॉसिंग से लेलीकोट पहुंचमार्ग तक डामरीकरण कराने,

(3) श्री मनीष कुंजाम, सदस्य

विधान सभा क्षेत्र कोन्टा के ग्राम जोगटीगुदा पारा में स्कूल खोलने के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7- वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक पर सामान्य वर्चा (क्रमशः)

भोपाल:

दिनांक 2 जुलाई, 1991

शिशुबेन्द्र मेहता,  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा